न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः–कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 176/2018 **दायर दिनांकः 09/10/2018**

उनवान

1. दौलतराम आयु 60 वर्ष पुत्र रामनाथ
2. प्रभु आयु 40 वर्ष पुत्र रामनाथ जातिगण धाकड निवासीगण नोहल्या तह0 अटरू जिला बारां (राज0) **वादीगण**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
2. हाडौती क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सकतपुर जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 12/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एंव माल धुमेन तहसील अटरू जिला बारां (राज0) की खाता संख्या 103 का ख0 न0 939 का रकबा 1.79 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.79 है0 आराजी वादीगण के जमाबन्दी मे वर्तमान मे दर्ज खाता है।जिसके पुराने सेटलमेन्ट से पूर्व मे नम्बर खाता संख्या 32 का ख0 न0 406 का रकबा 11 बीघा 1 बीस्वा आराजी वादीगण के पिता रामनाथ व चाचा गोपिया पुत्रगण सरवन के नाम दर्ज खाते थी वादीगण के चाचा गोपिया पुत्र सरवन लाऔलाद फौत हुआ था गोपिया के कोई वारिसान नही था वर्तमान नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 मिलान क्षैत्रफल सेटलमेन्ट पूर्व नकल इन्तकाल दिनांक 18.12.1978 सेटलमेन्ट पूर्व नकल जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2024 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वादीगण का पारिवारिक सजरा मिम्न प्रकार है।

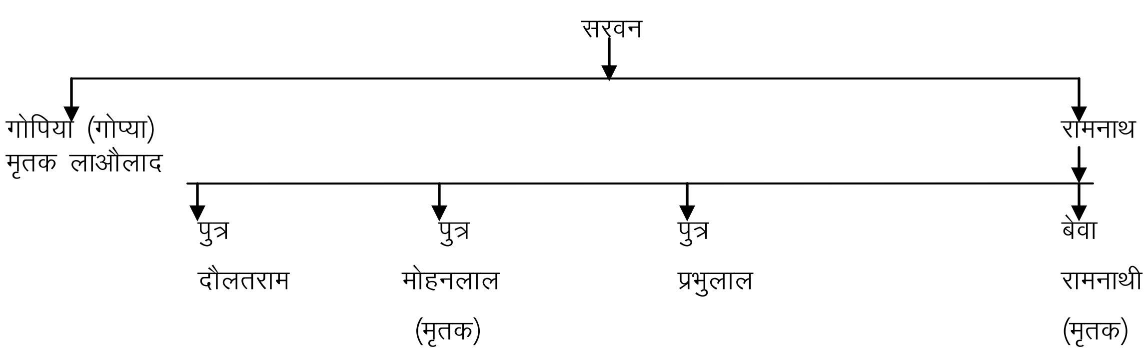

वादीगण के पिता रामनाथ व चाचा गोपिया की मृत्यु दिनांक 26.06.1978 से पूर्व मे हो चुकी है। जिसका नामान्तरणसंख्या 212 दिनांक 18.12.1978 को राजस्व रिकार्ड मे इन्तकाल दर्ज हो चुका था कि गोपिया व रामनाथ का फोत हो चुके है। तथा गोपिया लाओलाद फोत हुआ है। तथा रामनाथ के वारिसान का नाम इन्तकाल मे दर्ज हो गया है। लेकिन श्रीमान प्रतिवादी क्रम 1 के द्वारा व अधिनस्थ कर्मचारियो व अधिकारियो द्वारा जमाबन्दी बनाते समय लापरवाही पूर्ण कार्य करते हुये राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे वादीगण के पिता रामनाथ के स्थान पर गोपिया उर्फ गोप्या का नामदर्ज कर दिया जिसे वादीगण वर्तमान रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दुरस्त करवाकर गोप्या के स्थान पर रामनाथ करवाने के अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीक्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है अगर प्रतिवादीक्रम 1 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य मे सफल रहा और वादीगण के पिता का नाम गोप्या के स्थान पर रामनाथ नही किया गया तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद मे अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय मे पेश किया गया हैं। वाद कारण प्रथम बार प्रतिवादीक्रम 1 द्वारा व अधिनस्थ कर्मचारीगण द्वारा वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे वादीगण के पिता का नाम दुरस्त नही करने पर व अन्तिम बार दिनांक 20.08.2018 को प्रतिवादीगण द्वारा दुबारा मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र मे उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी तहसील क्षैत्र अटरू मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्याायलय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादीगण विनयी है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें कि

(अ) यह कि वाद पत्र की मद0 न0 1 मे वर्णित आराजी मे वादीगण के पिता का नाम गोप्या के स्थान पर रामनाथ वर्तमान राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज करने का आदेश प्रतिवादीक्रम 1 को दिया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित आदेश जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को दी जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण द्वारा अवसर दिये जाने पर भी जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 का शपथ पत्र पेश किया गया तथा रिकार्ड EXP करवाये गये। अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि ग्राम धुमेन की खाता संख्या 103 ख0नं0 939 रकबा 1.79 है0 किता 1 रकबा 1.79 है0 वादीगण के खाते दर्ज है। वादीगण के पिता का सही नाम रामनाथ है, जबकि वर्तमान खाते में दोलत राम, मोहन, प्रभू पुत्रान गोप्या वादीगण का चाचा है। गोप्या के स्थान पर रामनाथ दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया रिकार्ड अनुसार वादीगण के पिता का नाम रामनाथ है, जो सहवन से गोप्या दर्ज कर दिया गया गोप्या चाचा है, तथा लाओलाद फोत हुआ है।

अतः न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम धुमेन की खाता संख्या 103 ख0नं0 939 रकबा 1.79 है0 में वादीगण के पिता गोप्या, व पति गोप्या के स्थान पर रामनाथ राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 176/2018

उनवान

1. दौलतराम आयु 60 वर्ष पुत्र रामनाथ
2. प्रभु आयु 40 वर्ष पुत्र रामनाथ जातिगण धाकड निवासीगण नोहल्या तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
2. हाडौती क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सकतपुर जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X.............................

बहाजिर :–

वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम धुमेन की खाता संख्या 103 ख0नं0 939 रकबा 1.79 है0 में वादीगण के पिता गोप्या, व पति गोप्या के स्थान पर रामनाथ राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)

उप खण्ड अधिकारी

अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.........................

.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 12.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी

अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी

अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.01 14:30:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: